

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की गतिविधियों पर  
मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन संख्या 9  
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

## विषय-सूची

		पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सार		v
<b>अध्याय 1</b>	<b>प्रस्तावना</b>	<b>1</b>
1.1	पृष्ठभूमि	1
1.2	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन	1
1.3	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के कार्य	2
1.4	बोर्ड का गठन एवं इसकी संगठनात्मक संरचना	2
1.5	हमने यह निषादन लेखापरीक्षा क्यों की	4
1.6	लेखापरीक्षा उद्देश्य	4
1.7	लेखापरीक्षा क्षेत्र	5
1.8	लेखापरीक्षा मानदण्ड	5
1.9	लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली	5
<b>अध्याय 2</b>	<b>नाभिकीय तथा विकिरण सुविधाओं का नियामक ढांचा</b>	<b>7</b>
2.1	प्रस्तावना	7
2.2	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की कानूनी स्थिति	7
2.3	एईआरबी को विस्तृत कानूनी शक्तियों के साथ सांविधिक स्थिति प्रदान करने में विलम्ब	9
2.4	विनियामक स्वतन्त्रता तथा एईआरबी की भूमिका की स्पष्टता	12
2.5	नियम बनाने की शक्तियाँ	14
2.6	नियम बनाने में नियंत्रण कमजोरियाँ	14
2.7	नियम लागू करने के प्रावधान	15
2.8	शास्ति प्रावधान	15
<b>अध्याय 3</b>	<b>सुरक्षा नीति, मानकों, संहिताओं तथा मार्गनिर्देशों का विकास</b>	<b>17</b>
3.1	राष्ट्रीय सुरक्षा नीति	17
3.2	सुरक्षा मानक, संहिताएं तथा मार्गनिर्देश	18
<b>अध्याय 4</b>	<b>सहमतियाँ</b>	<b>23</b>
4.1	प्रस्तावना	23
4.2	नियामक सहमति	24
4.3	सहमति देने की प्रक्रिया की लागत	34
<b>अध्याय 5</b>	<b>नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन तथा प्रवर्तन</b>	<b>35</b>
5.1	नियामक निरीक्षण तथा निर्धारित आवधिकता	35
5.2	विकिरण सुविधाओं के नियामक निरीक्षण में कमी	36
5.3	नियामक निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने में विलम्ब	39
5.4	निरीक्षण रिपोर्टों में आपत्तियों के उत्तरों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	40

		पृष्ठ संख्या
5.5	प्रचालनरत संयंत्रों के लिए सुरक्षा समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुपालन में विलम्ब	41
5.6	केरल में दोषी एक्सरे यूनितों के प्रति नियामक कार्रवाई आरम्भ न करना	42
<b>अध्याय 6</b>	<b>विकिरण सुरक्षा</b>	<b>43</b>
6.1	प्रस्तावना	43
6.2	भारत में विकिरण सुरक्षा	43
6.3	नाभिकीय तथा विकिरण सुविधाओं में विकिरण सुरक्षा	44
6.4	रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबन्धन	47
6.5	रेडियोलाजीकल सुरक्षा अधिकारियों की विकट कमी	52
<b>अध्याय 7</b>	<b>नाभिकीय तथा विकिरण सुविधाओं के लिए आपातकालीन तैयारी</b>	<b>54</b>
7.1	प्रस्तावना	54
7.2	भारतीय परिदृश्य की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य	56
7.3	नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की आपातकाल तैयारी की योजनाएं	57
7.4	विकिरण सुविधाओं के लिए आपातकाल योजनाएं	59
<b>अध्याय 8</b>	<b>नाभिकीय तथा विकिरण सुविधाओं को बन्द करना</b>	<b>60</b>
8.1	प्रस्तावना	60
8.2	अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य की तुलना में भारतीय परिदृश्य	60
8.3	किसी भी नाभिकीय सुविधा को बन्द करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत न करना	62
8.4	बन्द आरक्षित निधि की पर्याप्तता तथा बन्द निधि का निवेश	63
<b>अध्याय 9</b>	<b>नाभिकीय नियामक मामलों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सम्पर्क बनाना</b>	<b>66</b>
9.1	भारत, आईएईए तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	66
9.2	एईआरबी तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से लाभ	67
9.3	आईएईए एकीकृत नियामक समीक्षा सेवा	69
<b>अध्याय 10</b>	<b>निष्कर्ष</b>	<b>71</b>
<b>अनुबन्ध</b>		<b>75</b>
अनुबन्ध 1	एई अधिनियम 1962 की धारा 16,17 तथा 23 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एईआरबी के नियामक तथा सुरक्षा काय	77
अनुबन्ध 2	'आईएईए-टैकडाक-1526' के अनुसार सुझाई गई निरीक्षण बारम्बारता	79
अनुबन्ध 3	2005-06 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान नाभिकीय औषधि, न्यूक्लेओनिक गेज तथा नैदानिक रेडियोलाजी (एक्सरे उपकरण) के लिए आयोजित नियामक निरीक्षण से सम्बन्धित डाटा	80
अनुबन्ध 4	मायापुरी दिल्ली में धातु रद्दी बाजार में उच्च विकिरण प्रकटन की घटना	81
अनुबन्ध 5	15 मामलों से सम्बन्धित 'असाधारण घटना' जो प्राप्त/पाए नहीं थे, के ब्यौरे	84
अनुबन्ध 6	विभिन्न नियमों के अन्तर्गत रेडियोलाजीकल सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य तथा कार्य	86
<b>शब्दावली</b>		<b>88</b>